न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 07 / 2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

बारां जिला विकास समिति, बारां, जिला बारां (अप्रार्थी)

जिला कलेक्टर बारां (राज0)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)

आदेश दिनांक– 20.07.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते विवादित आराजी ख0नं0 362 / 291 रकबा 0.10 है. किस्म गै.मु., 363 / 292 रकबा 0.06 है. किस्म गै.मु. वाके ग्राम काजीखेड़ा तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2015–2024 में खसरा नम्बर 200 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2038–57 में नवीन खसरा नंबर 291 रकबा 2.26 हैं किस्म गै.मु. तालाब कायम किये जाकर सिवायचक नाकाबिल काश्त खाता सरकार दर्ज है। तत्पश्चात कार्यालय श्रीमान् जिला कलक्टर, बारां के आवंटन आदेश कमांक एफ–4( )(5)(92)/ राजस्व / 2001 / 1411–17 दिनांक 10.04.2001 से अप्रार्थी को आवंटित कर अप्रार्थी के खाते दर्ज की गयी। आवंटित आराजी खसरा नंबर 291 रकबा 0.10 है. किस्म गै.मु.तालाब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.रिट संख्या 1536 / 2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन राजस्था[illegible]कारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 [illegible] 03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय [illegible] जयपुर के निर्ण[illegible]नांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया [illegible] आवश्यक है। अतः [illegible] निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी अध्यक्ष, बारां जिला विकास समिति, बारां स्वंय उपस्थित हुये तथा जवाब नही पेश करने का कथन किया। इस पर हमने उभयपक्ष को सुना।

3— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम काजीखेड़ा की आराजी खसरा नम्बर 362/291 रकबा 0.10 है. किस्म गै.मु. अप्रार्थी के खाते गलत दर्ज कर दिया। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि 2015—2024 में खसरा नम्बर 200 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब रहे है, वर्तमान सेटलमेंट संवत 2038—57 में भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त आराजी के नवीन खसरा नंबर 291 रकबा 2.26 हैं किस्म गै.मु. तालाब कायम किये जाकर सिवायचक नाकाबिल काश्त खाता सरकार दर्ज की गयी। जिसे कार्यालय जिला कलक्टर, बारां के आवंटन आदेश क्रमांक एफ—4( )(5)(92)/राजस्व/2001/1411—17 दिनांक 10.04.2001 से अप्रार्थी को आवंटित कर अप्रार्थी के खाते दर्ज कद दी गयी। वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तालाब थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 362/291 रकबा 0.10 है. किस्म गै.मु., बने है जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म गै.मु. दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तालाब दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा—82 भू राजस्व अधिनियम,1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

4— अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के उक्त कथन का खण्डन नहीं किया तथा अपने समर्थन में ना तो कोई जवाब पेश किया ना ही कोई मौखिक कथन किया।

5— हमने पेरोकार सरकार की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया, तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2015—2024 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 200 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा किस्म गै.मु.तालाब खाता सरकार दर्ज है जिसका अप्रार्थी को आवंटन किया गया है। उक्त आराजी के बाद [illegible] खसरा नम्बर 291 रकबा 2.26 है. किस्म गै.मु.तालाब, कायम [illegible] नंबर 362/291 रकबा 0.10 है. आराजी अप्रार्थी को आवंटित की गई, जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि आवंटित की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

तालाब खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का आवंटन नियम विरूद्व हुआ है।

6— अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 362/291 रकबा 0.10 है. किस्म गै.मु., मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत 2038—57 नये खसरा नम्बर 291 रकबा 2.23 है. किस्म गै.मु.तालाब, सिवायचक नाकाबिल काश्त खाता सरकार दर्ज है में से आवंटन की गयी है। जिसका आवंटन अप्रार्थी को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थी के वर्तमान में वाके काजीखेड़ा में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 362/291 रकबा 0.10 है. किस्म गै.मु.तालाब, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 291 रकबा 2.26 है. किस्म गै.मु.तालाब से बना है जिसका अप्रार्थी को गलत रूप से आवंटन हुआ है, आवंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

आदेश आज दिनांक 20.07.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.08.04 17:08:19 IST
Reason: SelfAttested